फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लालसिंह	बनाम	विपक्षी : श्री पप्पूसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम		पत्रावली संख्या : 241/2021

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 06.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा भीण्डर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट क की आराजी न. 431, 432, 434, 435, 735, 736 किता 6 रकबा 1.4000 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उगमकूंवर पुत्री नारायण 1/8, गोटू सिंह पुत्र अम्बालाल 1/10, जसकूंवर पत्नी नारायण 1/8, देउकूंवर पुत्री अम्बालाल 1/10, पपु सिंह पिता नारायण 1/8, रामी बाई पत्नी अम्बालाल 1/10, लालसिंह पिता अम्बालाल 1/10, शान्ताकूंवर पुत्री नारायण 1/8, सुरजकूंवर पुत्री अम्बालाल 1/10 हिस्से से जाति दरोगा सा. देह. के नाम पर अंकित है व परिशिष्ट ख की आराजी न. 741 रकबा 0.5500 है., आराजी न. 746 रकबा 0.3100 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरैया बोहरा पति अम्बावास अली हिस्सा पूर्ण साकिन भीण्डर के नाम अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी के खातेदार रामी बाई का निधन हो गया है जिसके वारिश प्रार्थी देउकूंवर, लालसिंह, गोटूसिंह एवं सुरजकूंवर है एवं खातेदार सुरजकूंवर का लाऔलाद कुंवारी फौत हो गयी जिसके वारिश प्रार्थीगण है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस स्व. श्री चतरभुज जी द्वारा अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता पति नारायण के नाम आराजी न. 507/472 रकबा 4 बिघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा न. 741, 746 बन चुके है का एवं अपने स्वयं के नाम आराजी न. 505/471 रकबा 3 बिघा भूमि जो वर्तमान में खसरा न 735, 736 बन चुके है का आवंटन करवाया तक प्रार्थीगण के पिता अम्बालाल जी नाबालीग थे। इस तरह पुश्तेनी भूमि एवं आवंटित भूमि को मिलाकर कुल 10 बिघा 9 बिस्वा भूमि हुई जिसका गत 25 साल पहले आपसी तोर से फेमेली सेटलमेंट किया जिसके अनुसार 5 बिघा 14.5 बिस्वा भूमि नारायण के एवं 4 बिघा 14.5 बिस्वा भूमि अम्बालाल के हक हिस्से में आयी। नारायण के हक हिस्से एवं कब्जे में आयी भूमि में से नारायण के वारिश विपक्षी 1 से 4 ने आराजी न. 507/472 रकबा 4 बिघा भूमि श्रीमती दुरैया बोहरा निवासी भीण्डर को दिनांक 31.12.201[illegible] [illegible] कर दी शेष रकबा 1 बिघा 14.5 बिस्वा भूमि पर नारायण के वारिश विप[illegible] संख्या [illegible] से 4 काबिज हो काश्त कर रहे है एवं अम्बालाल के वारिश [illegible] 4 बिघा [illegible] बिस्वा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है। राजस्व रेकर्ड के [illegible] हक हिस्से [illegible] से ज्यादा भूमि का गलत अंकन होने से विपक्षी सं. [illegible] विपक्षी सं. 5 के सह[illegible] वादग्रस्त भूमि अन्य लोगों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को [illegible] कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:33 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विपक्षीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थीगण का यह कथन है कि स आराजी न. 507/472 रकबा 4 बिघा पक्षकारान के मौरूस चतरभुज द्वारा विपक्षी 1 के पिता पति नारायण के नाम से आवंटन करवाया एवं साबिक आराजी 504/471 रकबा 3 बिघा भूमि को स्वयं चतरभुज द्वारा अपने नाम पर आवंटन कर तथा बाद में फेमेली सेटलमेंट हुआ जिसके अनुसार 5 बिघा 14.5 बिस्वा नारायण व 4 बिघा 14.5 बिस्वा अम्बालाल के हक हिस्से में आई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से पाया कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी 504/471 रकबा 3 बिघा भूमि नारायण पिता अम्बालाल दरोगा के नाम जमाबंदी वर्ष 2051–54 में दर्ज रेकर्ड थी जो जरिये विरासत नामान्तरण प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा साबिक आराजी न. 507/472 एवं 505/471 भूमि फेमेली सेटलमेंट से प्राप्त होना बताया है। प्रार्थी के उक्त कथन को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जावेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 57 की आराजी नम्बर 431, 432, 434, 435, 735, 736 किता 06 रकबा 1.4000 हैक्टयर भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 41 की आराजी नम्बर 741, 746 किता 2 रकबा 0.8600 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:33 IST
Reason: SelfAttested